

GOVT. MEERA GIRLS COLLEGE, UDAIPUR INTERNAL
COMPLAINTS COMMITTEE

Report - 2024

महाविद्यालय को महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हम सभी को लेनी होगी

- प्रो. दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य

दिनांक 27.09.2024 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत जिले में महिला अधिकारिता विभाग एवं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में दो दिवसीय महिला एवं बालिका के कानूनों पर कार्यशाला प्रारम्भ हुई। कार्यशाला के प्रथम दिन कार्यस्थल पर यौन हिंसा की रोकथाम कानून, 2013 पर महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों को जानकारी उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम में प्रो. दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, श्री संजय जोशी, उपनिदेशक, महिला अधिकारिता विभाग, श्री राम किशोर खदाव, संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता, डॉ. लाजवन्ती बनावत प्रभारी आन्तरिक शिकायत समिति, सहित महाविद्यालय के 100 से अधिक संकाय सदस्यों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में प्रो. दीपक माहेश्वरी, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय ने बताया कि महाविद्यालय को महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी हम सभी आचार्यों को स्वयं के स्तर पर लेनी होगी, महाविद्यालय की कक्षा में बालिकाओं से जुड़े कानूनों एवं उनके अधिकारों पर जागरूकता करने का कार्य हम सब मिलकर करेंगे, तभी हम सभी को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दे पायेंगे।

उपनिदेशक, महिला अधिकारिता ने बताया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन अपराधों की रोकथाम के लिए प्रत्येक निकाय, संस्थान एवं कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया गया, समिति का कार्य है कि वह अपने परिसर का वातावरण सकारात्मक एवं सुरक्षात्मक बनाए रखें।

श्री देवकिशन परमार, विषय विशेषज्ञ एवं सलाहकार, महिला अधिकारिता ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, (निवारण, प्रतिशोध एवं प्रतितोष)-2013 के मुख्य प्रावधानों के बारे में विस्तृत से चर्चा करते हुए बताया कि जिले में प्रत्येक राजकीय एवं गैर राजकीय कार्यालय/संस्था/उपक्रम/संगठनमें 10 या 10 से अधिक कार्मिक कार्यरत है, में एक आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के अन्तर्गत एक नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह कार्यस्थल को महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित बनाए, जहां महिलाएं बिना किसी भय के काम कर सकें। कार्यशाला के प्रारम्भ में डॉ. लाजवन्ती बनावत ने स्वागत उद्बोधन एवं विषय प्रवर्तन किया।

कार्यशाला के अन्त में प्रो. अशोक सोनी, ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि महाविद्यालय में समय-समय पर महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक करने के कार्य किये जा रहे हैं। कार्यशाला का संचालन प्रो. गीता स्वामी एवं

डॉ. अंजू बेनीवाल द्वारा किया गया, साथ ही बताया कि दिनांक 28.09.2024 को महाविद्यालय में बालिकाओं से जुड़े कानून एवं योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

